

सियासी आरोपों के बीच ई.डी. ऑफिस जयपुर के भवन की रजिस्ट्रेशन फीस माफ

मुख्यमंत्री गहलोत के अधीनस्थ वित्त विभाग ने मंजूर किया ई.डी. का प्रस्ताव

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर । राजस्थान सरकार ने एन्फोर्समेंट डायरेक्ट्रेट (ई.डी.) के जयपुर ऑफिस भवन की रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी है। वैसे तो राजस्थान में ई.डी. की छापेमारी के बाद मुख्यमंत्री गहलोत और उनके समर्थक कांग्रेस नेता इन दिनों लगातार ई.डी. की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। इसी घटनाक्रम के बीच 13 जून को मुख्यमंत्री गहलोत की सरकार के वित्त विभाग ने ई.डी. के रीजनल ऑफिस भवन की लीज डीड पर रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने की अधिसूचना जारी की है। बताया जा रहा है कि जयपुर के झालाना इंस्टीट्यूशनल

■ **देखा जाए तो राजस्थान में पेपरलीक मामले में हुई ई.डी. की छापेमारी के बाद एक तरफ गहलोत लगातार ई.डी. और केन्द्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ राजस्थान सरकार द्वारा ई.डी. को राहत देना चर्चा का विषय बन गया है।**

एरिया में ई.डी. के जेनल ऑफिस का भवन बना है। इस भवन की लीज डीड पर अब जयपुर विकास प्राधिकरण (जे.डी.ए.) को कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी।

सूत्रों की मानें तो ई.डी. ने वित्त विभाग को जेनल ऑफिस के भवन पर रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने का प्रस्ताव

भेजा था, जिसे वित्त विभाग ने मंजूर करते हुए अब रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने की अधिसूचना जारी की है। राजनैतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि ई.डी. के जेनल ऑफिस भवन की रजिस्ट्रेशन फीस ऐसे वक्त पर माफ की गई है, जब प्रदेश में पेपरलीक मामलों को लेकर ई.डी. के छापों पर सियासी आरोप-प्रत्यारोप जारी

है। इसलिए इस फैसले की चर्चा हो रही है। चूंकि वित्त विभाग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है, ऐसे में यह माना जा रहा है कि इस फैसले में मुख्यमंत्री की हामी शामिल है। बताया जा रहा है कि वित्त विभाग का यह फैसला वैसे तो सामान्य फैसला है। आमतौर पर केन्द्र और राज्य के दफ्तरों के लिए राज्य सरकार, सस्ती दरों पर जमीन आवंटित करती है और कई तरह की फीस भी माफ करती रही है। केन्द्र और राज्य के विभाग सरकार को छूट का प्रस्ताव भेजते हैं, जिस पर वित्त विभाग मंजूरी देता है। ईडी ऑफिस भवन की रजिस्ट्रेशन फीस माफ भी इसी में माना जा रहा है, लेकिन जिस

वक्त पर यह फैसला हुआ है, वह सियासी घटनाक्रम के बीच है, इस कारण इसकी चर्चाएं होना स्वाभाविक है।

इधर, सूत्रों के अनुसार रीट मामले में ईडी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष डीपी जारौली को पृष्ठताछ के लिए नोटिस देने की तैयारी कर रही है। हाल ही में मामले को लेकर राजीव गांधी स्टडी सर्किल के स्टेट कॉर्डिनेटर बनय सिंह से पृष्ठताछ के बाद अब ईडी जारौली को भी नोटिस देने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार ईडी को बनय सिंह से पृष्ठताछ में कई जानकारी मिली थी। इसी को आधार बनाकर अब जारौली पर कार्रवाई हो सकती है।

प्रदेश में दो नए संक्रमित मिले

जयपुर। प्रदेश में बुधवार को करोना संक्रमण के दो नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस बीच एक संक्रमित के ठीक हुआ है। राज्य में फिलहाल 18 एक्टिव केस मौजूद हैं।

प्रदेश में बुधवार को उदयपुर में दो नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले मंगलवार को राज्य में संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया था। इधर, राज्य में आज 1940 कोविड जांच की गई है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए रामेश्वरम्-मुदरई ट्रेन रवाना



जयपुर के दुर्गापुर रेलवे स्टेशन से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत रामेश्वरम-मुदरई जाने वाले यात्रियों को परिजनों ने रवाना किया।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक हमारी अमूल्य धरोहर हैं। भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों को विशेष आदर और सम्मान दिया जाता है। इन्हीं भावनाओं के साथ हमने जिम्मेदारी निभाते हुए अगस्त, 2013 में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की थी। उस समय 41 हजार यात्रियों को विभिन्न स्थलों पर भेजकर दर्शन कराए गए। अब तक

1.17 लाख वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा कराई जा चुकी है।

गहलोत ने बुधवार को जयपुर के दुर्गापुर रेलवे स्टेशन से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत रामेश्वरम-मुदरई जाने वाले यात्रियों को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार योजना के विस्तार में नए तीर्थ स्थलों को भी जोड़ रही है। इसमें राज्य सरकार सम्पूर्ण खर्च वहन

करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत सरकार द्वारा 5 साल में सिर्फ 47 हजार यात्रियों को ही तीर्थ यात्रा कराई गई, जबकि हमने योजना में नए तीर्थ स्थल जोड़कर इसे आगे बढ़ाया। इस वर्ष बजट घोषणा के अनुरूप 40 हजार लोगों को यात्रा कराई जाएगी। साथ ही कोरोना काल में वंचित एक लाख यात्रियों को 2 साल में तीर्थ दर्शन कराएंगे।

विश्व रक्तदाता दिवस पर सर्वाधिक रक्तदान करने वाले रक्तदाता व संस्थाएं सम्मानित

जयपुर। विश्व रक्तदान दिवस पर इस वर्ष की थीम 'गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, सेयर लाइफ, सेयर ओफन' के साथ बुधवार को स्वास्थ्य भवन में राज्यस्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर सर्वाधिक रक्तदान करने वाले 20 रक्तवीरों एवं 20 स्वयंसेवी संस्थाओं को सम्मानित किया गया।

सम्मान समारोह को सम्बोधित करते हुए मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने कहा कि रक्तदान करने के प्रति रक्तवीरों में जूनून होता है, और ऐसे बिरले ब्लड डोनर ही जीवनदाता कहलाते हैं। उन्होंने कहा कि रक्तवीर के रूप में स्वयं निरंतर आगे आ रहे नवयुवक और संस्थाएं प्रेरणा स्रोत हैं जिनकी प्रशंसा व सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण है।

मिशन निदेशक ने बताया कि आज 14 जून को विश्वभर में बिना किसी प्रलोभन के भावव सेवा के लिए रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं और संस्थाओं के उल्लेखनीय योगदान के लिए यह दिवस मनाया जाता है। निदेशक आरसीएच डॉ. आर.पी. डोरिया ने बताया कि सर्वाधिक रक्तदान करने वाले 20 रक्तवीरों एवं 20 स्वयंसेवी संस्थाओं को सम्मानित किया गया। राज्य नोडल अधिकारी, ब्लड सेल डॉ.



सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के सभागार में विश्व रक्तदान दिवस पर आयोजित समारोह में 21 बार रक्तदान कर चुके नर्सिंग ऑफिसर मनोज मीना का सम्मान किया गया।

गिरीश द्विवेदी ने बताया कि रक्तदाता दिवस के अवसर पर राज्य मुख्यालय सहित प्रदेशभर में 200 से अधिक ब्लड डोनेशन कैम्प आयोजित किये गए। विश्व रक्त दान दिवस पर सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के सभागार

में आयोजित समारोह में सर्वाधिक रक्तदान करने के लिए नर्सिंग ऑफिसर मनोज दुब्बी को एनएचएम मिशन निदेशक डॉ. जितेंद्र सोनी, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. राजीव बगरहट्टा-प्रिंसिपल, एसएमएस

अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अचल शर्मा और सवाई मान सिंह हॉस्पिटल के ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. भीम सिंह मीणा ने सम्मानित किया। मनोज दुब्बी 2009-10 से अब तक जरूरतमंदों के लिए 21 बार रक्तदान कर चुके हैं।

कांग्रेस के पास ना नीति और ना ही नेता, ये सरकार रिपीट नहीं, डिलीट है : सी. पी. जोशी

सीकर/जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि गहलोत और सरकार दोनों ही मुगलिया प्रेमी हैं। जब सिलेबस से मुगल आक्रांताओं के पाठ हटा दिए जाते हैं तो मुख्यमंत्री को तकलीफ होती है। जब एनसीईआरटी ने सिलेबस से मुगल आक्रांताओं का पाठ हटा दिया और हमारे गौरवशाली योद्धाओं के पाठ को जोड़ दिया तो इसी सरकार ने डेढ़ करोड़ किताबों को कबाड़ में डाल दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार 9 वर्षों के शासन में समाज के प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखते हुए विकास के कार्य किये हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले कांग्रेस की सरकार ने केवल नारे दिए, वादे किये थे। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी कहा, वादे किये वह सब पूरे करके दिखाये हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार से पहले कांग्रेस के शासन में यदि 60 वर्षों में ईमानदारी से विकास का काम होता तो भारत दुनिया का सर्वोच्च राष्ट्र बनता। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में

भाजपा सरकार ने 9 वर्षों में ही देश को दुनिया में सर्वोच्च शिखर पर लाने का काम किया है। राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए जोशी ने कहा कि कांग्रेस के पास ना तो नीति है और ना नेता। कांग्रेस की सरकार झूठ के बुनियाद के आधार पर बनी है। किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। बिजली के दाम बढ़ा दिए। भाजपा सरकार के समय दस हजार रुपये बिजली के बिल माफ किये थे कांग्रेस ने वापस शुरू कर दिये। राजस्थान में डीजल, पेट्रोल, बिजली सबसे महंगी है। यदि कांग्रेस सरकार जनता को राहत ही देना चाहती है तो साढ़े चार वर्षों में जनता से लूटे गये पैसे वापस दे। जोशी ने कहा कि कांग्रेस सरकार में सुरक्षा, दलित अत्याचार, बच्चों, महिला अत्याचार, पेपर लीक, तृष्णिकरण मामलों में एक नंबर पर आता है। कहा कि शिक्षा में राजस्थान के महापुरुषों का नाम बाहर करके मुगलों के नाम जोड़ दिए हैं। कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार रिपीट नहीं होगी बल्कि डिलीट होगी।

क्या बिना अध्यक्ष के ही होगी राजस्थान यूथ कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक?

एक महीने की लंबी मतदान प्रक्रिया के बावजूद सर्वाधिक वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार के निर्वाचन की नहीं हुई घोषणा, इसलिए बढ़ा विवाद

- हर बार यूथ कांग्रेस निर्वाचन की प्रक्रिया भी बदली जाती है, लेकिन ना विवाद समाप्त होते हैं ना भ्रांतियां
- यही कारण है कि 13 साल में राजस्थान में सिर्फ दो अध्यक्ष निर्वाचित हो पाए हैं, क्योंकि अध्यक्ष के कार्यकाल को लेकर भी कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं है

जयपुर, (का.प्र.)। राजस्थान यूथ कांग्रेस की चुनाव प्रक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया से भी लंबी चल चुकी है। इसके बावजूद राजस्थान में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद का निर्वाचन अभी तक निश्चित नहीं किया जा सका है। ऐसे में जब राजस्थान की कार्यकारिणी की बैठक होगी, तो उसकी अध्यक्षता करने के लिए राजस्थान के अध्यक्ष का चेहरा नहीं होगा। ऐसे में राज्य की इकाई की बैठक की अध्यक्षता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे।

दरअसल जबसे यूथ कांग्रेस की प्रक्रिया पूरे देश में चुनावी शुरू हुई है, तबसे इसमें लगातार भ्रांतियां हैं और इन्हें भ्रांतियों के कारण हर बार यूथ कांग्रेस की चुनाव प्रक्रिया को बदल दिया जाता है। पदों को नाम बदल दिया जाता है,

लेकिन इसमें विवाद खत्म नहीं होता। इस बार भी वैसे ही हुआ है। यूथ कांग्रेस की चुनाव प्रक्रिया राजस्थान में 2010 में शुरू हुई थी और तब से लेकर अब तक 13 साल में मात्र 2 निर्वाचित अध्यक्ष बने हैं। यानी कि जिस प्रक्रिया के तहत 13 साल में मात्र दो अध्यक्ष पवन गोदारा और अशोक चांदा ही निर्वाचित हो पाए हैं। इससे प्रतीत होता है कि यूथ कांग्रेस की चुनाव प्रक्रिया में कुछ भी निश्चित नहीं है। अध्यक्ष का कार्यकाल तक निश्चित नहीं है। प्रक्रिया निश्चित नहीं है। वोटिंग पैटर्न भी हर बार बदल दिया जाता है। इसके बावजूद इसमें भ्रांतियां और विवाद खत्म नहीं होते हैं।

इस बार भी वैसे ही हो रहा है। राजस्थान में इस बार 28 फरवरी से 3

अप्रैल तक मतदाता तैयार करने और वोटिंग की प्रक्रिया रखी गई थी और यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही रखी गई थी। ऑनलाइन मतदान के जरिए जिस दिन किसी को सदस्य बनना था, उसी दिन उसे अपने उम्मीदवार की चुनने थे। यानी कि 50 देने के बाद ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत मतदाता बनाए गए और मतदाता उसी दिन अपना वोट भी कास्ट करते रहे। इस प्रक्रिया के तहत करीब

20 लाख वोटर बनाने के जरिए यूथ कांग्रेस को कुल 10 करोड़ प्राप्त हुए। इस प्रक्रिया 1 महीने चलने के बाद में इसमें से बड़ी संख्या में वोटों को निरस्त कर दिया गया। उसके बाद बाकी बचे वोटों की गिनती प्रक्रिया हुई और उस प्रक्रिया के तहत अभिमन्यु पुनिया बाकी उम्मीदवारों से 30,000 ज्यादा लेकर पहले नंबर पर रहे। उसके बाद सुधीर मूंड और यशवीर सुधार रहे।

उसके अलावा बाकी अन्य लोग नीचे रहने के बाद उपाध्यक्ष, महामंत्री बने। यहां तक तो प्रक्रिया ठीक थी, लेकिन सर्वाधिक वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार को अब तक यहां पर अध्यक्ष निर्वाचित घोषित नहीं किया गया है।

वैसे इस प्रक्रिया में कहा गया था कि जो पहले तीन नंबर के उम्मीदवार वोट लेकर आएंगे, उनके इंटरव्यू लिए जाएंगे। इस प्रक्रिया पर सवाल उठा था कि निर्वाचन प्रक्रिया में कोई सर्वाधिक वोट लेता है, तो उसे निर्वाचित घोषित किया जाता है, फिर इंटरव्यू क्यों? सवाल उठे कि क्या किसी कंपनी का कोई सीईओ चुना जा रहा है। कंपनी का कर्मचारी चुना जा रहा है, जिसका इंटरव्यू लिया जाना है।

हालांकि विवाद और सवाल उठने के बावजूद यह प्रक्रिया जारी रही और यही कारण है कि अब जब यूथ कांग्रेस राजस्थान की बैठक गुरुवार को होने जा रही है, तब तक राजस्थान में कोई अध्यक्ष नहीं है।

खोया पाया
प्लॉट 6 व 6ए आदर्श नगर का मूलपट्टा व अन्य ओरिजिनल कागजात, जो इस प्लॉट से संबंधित हैं। 12.06.2023 को घर से फोटोकॉपी दुकान गोविंदमार्ग कही गिर गए। 9802999333

जेडीए द्वारा जारी पट्टा योजना - सिंगल एप्लानजी सिटी जयपुर के भूखंड संख्या D/272 का JDA पट्टा, रॉंग, साईट प्लान, आवंटन पर एवम अन्य जेडीए द्वारा जारी दस्तावेज खो गए है सूचित करे Faiguni Mehra मो 9978936316

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

बिपरजॉय चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए एस. डी. आर. एफ. की 17 टीमें नियुक्त, 30 रिजर्व में : मुख्य सचिव



बिपरजॉय तूफान से निपटने के लिये मुख्य सचिव उषा शर्मा ने अधिकारियों की बैठक ली।

जयपुर, (का.सं.)। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि बिपरजॉय चक्रवाती तूफान से बचाव को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। किसी भी हालात से निपटने के लिए एस.डी.आर.एफ. की 17 टीमें नियुक्त की गई हैं और 30 टीम रिजर्व में हैं। जहां कहीं भी इसकी जरूरत होगी, वहां इन्हें भेजा जाएगा। शर्मा बुधवार को शासन सचिवालय में बिपरजॉय चक्रवाती तूफान के असर से राजस्थान को बचाने के लिए जिला कलेक्टरों की बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। बैठक में पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा उपस्थित रहे तथा प्रभावित होने वाले जिलों के कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े।

उषा शर्मा ने कहा कि बिपरजॉय को लेकर हमारी तैयारियां का स्तर इस प्रकार का होना चाहिए कि किसी भी प्रकार की जान-माल की हानि नहीं हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपने हेडक्वार्टर पर मौजूद रहें। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने लोगों में इस

प्राकृतिक आपदा से बचाव के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि निचले इलाकों में जलमग्नता की वजह से लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके लिए ग्राम प्रधान, ग्राम रक्षक, सुरक्षा सखी, सभा पंचायत समिति के

सदस्यों का उपयोग कर लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान हमेशा से आपदा प्रबंधन में अक्सर रहा है। इस बार भी हम इससे अच्छे से गुजर जाएंगे। बैठक में मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया कि यह सिस्टम 16 जून को डीप डिप्रेशन के

रूप में जालौर और बाड़मेर में प्रवेश करेगा जिसकी स्पीड 50 से 60 किमी/घंटा रह जाएगी। इस वजह से प्रदेश में भारी बारिश और आंधी आ सकती है। पश्चिम राजस्थान में 300-400 मिमी तक बारिश हो सकती है। 17 जून के बाद यह सिस्टम धीरे-धीरे

- तूफान 16 जून को डीप डिप्रेशन के रूप में जालौर और बाड़मेर में प्रवेश करेगा
- 17 जून के बाद यह सिस्टम धीरे-धीरे कमजोर पड़ जायेगा

कमजोर पड़ जाएगा। बैठक में उपस्थित जिला कलेक्टरों ने आश्वासन दिया कि बिजली, मेडिकल, पुलिस जैसे विभागों को सचेत कर दिया गया है, वे अपनी मशीनरी के साथ सतर्क हैं। बैठक में एस.डी.आर.एफ. के सदस्य, मौसम विभाग के अधिकारी, कर्नल अजय सिंह राठी, विंग कमांडर के राजेश उपस्थित रहे। और प्रभावित होने वाले जिलों के कलेक्टर ऑनलाइन उपस्थित रहे।

(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक-व्यवसाय अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 148/2023
(नाम वर्तन तथा निवास स्थान)
जुंकी श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री गोपाल प्रसाद शर्मा, निवासी जहाँ नं 14, जवाहरलाल नेहरू नगर, चारणवास, काली बाड़ी तहसील अजमेरमण्डल, जयपुर विभाग जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रत्यक्ष अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत की गंगा चैटेरेबल ट्रस्ट, ग्राम चारणवास, कालीबाड़ी की क्या अवरोध, तहसील जयवसरमण्डल, जिला जयपुर प्रत्यक्ष के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अन्वय धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रत्यक्ष जिसकी जांच की जा रही है, में हिरा रखने वाले सम्स्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से सात दिन के भीतर उक्त प्रत्यक्ष के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निश्चित अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गईं तो उक्त आवेदन-पत्र विचारित रीति से निष्पत्ति किया जावेगा तथा जांच प्रसिक्त मामले में निष्पत्ति अभिलिखित किया जावेगा।
आज्ञापन-क्रमांक 31.05.23 को हरेन्द्र हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अन्तर्ग्त जारी किया गया।
आज्ञापन तारीख पेशी 8.8.23
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक-व्यवसाय अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 148/2023
(नाम वर्तन तथा निवास स्थान)
जुंकी श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री गोपाल प्रसाद शर्मा, निवासी जहाँ नं 14, जवाहरलाल नेहरू नगर, चारणवास, काली बाड़ी तहसील अजमेरमण्डल, जयपुर विभाग जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रत्यक्ष अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत की गंगा चैटेरेबल ट्रस्ट, ग्राम चारणवास, कालीबाड़ी की क्या अवरोध, तहसील जयवसरमण्डल, जिला जयपुर प्रत्यक्ष के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अन्वय धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रत्यक्ष जिसकी जांच की जा रही है, में हिरा रखने वाले सम्स्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से सात दिन के भीतर उक्त प्रत्यक्ष के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निश्चित अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गईं तो उक्त आवेदन-पत्र विचारित रीति से निष्पत्ति किया जावेगा तथा जांच प्रसिक्त मामले में निष्पत्ति अभिलिखित किया जावेगा।
आज्ञापन-क्रमांक 31.05.23 को हरेन्द्र हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अन्तर्ग्त जारी किया गया।
आज्ञापन तारीख पेशी 8.8.23
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक-व्यवसाय अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 148/2023
(नाम वर्तन तथा निवास स्थान)
जुंकी श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री गोपाल प्रसाद शर्मा, निवासी जहाँ नं 14, जवाहरलाल नेहरू नगर, चारणवास, काली बाड़ी तहसील अजमेरमण्डल, जयपुर विभाग जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रत्यक्ष अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत की गंगा चैटेरेबल ट्रस्ट, ग्राम चारणवास, कालीबाड़ी की क्या अवरोध, तहसील जयवसरमण्डल, जिला जयपुर प्रत्यक्ष के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अन्वय धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रत्यक्ष जिसकी जांच की जा रही है, में हिरा रखने वाले सम्स्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से सात दिन के भीतर उक्त प्रत्यक्ष के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निश्चित अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गईं तो उक्त आवेदन-पत्र विचारित रीति से निष्पत्ति किया जावेगा तथा जांच प्रसिक्त मामले में निष्पत्ति अभिलिखित किया जावेगा।
आज्ञापन-क्रमांक 31.05.23 को हरेन्द्र हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अन्तर्ग्त जारी किया गया।
आज्ञापन तारीख पेशी 8.8.23
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक-व्यवसाय अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 148/2023
(नाम वर्तन तथा निवास स्थान)
जुंकी श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री गोपाल प्रसाद शर्मा, निवासी जहाँ नं 14, जवाहरलाल नेहरू नगर, चारणवास, काली बाड़ी तहसील अजमेरमण्डल, जयपुर विभाग जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रत्यक्ष अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत की गंगा चैटेरेबल ट्रस्ट, ग्राम चारणवास, कालीबाड़ी की क्या अवरोध, तहसील जयवसरमण्डल, जिला जयपुर प्रत्यक्ष के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अन्वय धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रत्यक्ष जिसकी जांच की जा रही है, में हिरा रखने वाले सम्स्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से सात दिन के भीतर उक्त प्रत्यक्ष के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निश्चित अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गईं तो उक्त आवेदन-पत्र विचारित रीति से निष्पत्ति किया जावेगा तथा जांच प्रसिक्त मामले में निष्पत्ति अभिलिखित किया जावेगा।
आज्ञापन-क्रमांक 31.05.23 को हरेन्द्र हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अन्तर्ग्त जारी किया गया।
आज्ञापन तारीख पेशी 8.8.23
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक-व्यवसाय अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 148/2023
(नाम वर्तन तथा निवास स्थान)
जुंकी श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री गोपाल प्रसाद शर्मा, निवासी जहाँ नं 14, जवाहरलाल नेहरू नगर, चारणवास, काली बाड़ी तहसील अजमेरमण्डल, जयपुर विभाग जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रत्यक्ष अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत की गंगा चैटेरेबल ट्रस्ट, ग्राम चारणवास, कालीबाड़ी की क्या अवरोध, तहसील जयवसरमण्डल, जिला जयपुर प्रत्यक्ष के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अन्वय धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रत्यक्ष जिसकी जांच की जा रही है, में हिरा रखने वाले सम्स्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से सात दिन के भीतर उक्त प्रत्यक्ष के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निश्चित अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गईं तो उक्त आवेदन-पत्र विचारित रीति से निष्पत्ति किया जावेगा तथा जांच प्रसिक्त मामले में निष्पत्ति अभिलिखित किया जावेगा।
आज्ञापन-क्रमांक 31.05.23 को हरेन्द्र हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अन्तर्ग्त जारी किया गया।
आज्ञापन तारीख पेशी 8.8.23
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक-व्यवसाय अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 148/2023
(नाम वर्तन तथा निवास स्थान)
जुंकी श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री गोपाल प्रसाद शर्मा, निवासी जहाँ नं 14, जवाहरलाल नेहरू नगर, चारणवास, काली बाड़ी तहसील अजमेरमण्डल, जयपुर विभाग जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रत्यक्ष अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत की गंगा चैटेरेबल ट्रस्ट, ग्राम चारणवास, कालीबाड़ी की क्या अवरोध, तहसील जयवसरमण्डल, जिला जयपुर प्रत्यक्ष के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अन्वय धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रत्यक्ष जिसकी जांच की जा रही है, में हिरा रखने वाले सम्स्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से सात दिन के भीतर उक्त प्रत्यक्ष के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निश्चित अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गईं तो उक्त आवेदन-पत्र विचारित रीति से निष्पत्ति किया जावेगा तथा जांच प्रसिक्त मामले में निष्पत्ति अभिलिखित किया जावेगा।
आज्ञापन-क्रमांक 31.05.23 को हरेन्द्र हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अन्तर्ग्त जारी किया गया।
आज्ञापन तारीख पेशी 8.8.23
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक-व्यवसाय अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 148/2023
(नाम वर्तन तथा निवास स्थान)
जुंकी श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री गोपाल प्रसाद शर्मा, निवासी जहाँ नं 14, जवाहरलाल नेहरू नगर, चारणवास, काली बाड़ी तहसील अजमेरमण्डल, जयपुर विभाग जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रत्यक्ष अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत की गंगा चैटेरेबल ट्रस्ट, ग्राम चारणवास, कालीबाड़ी की क्या अवरोध, तहसील जयवसरमण्डल, जिला जयपुर प्रत्यक्ष के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अन्वय धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रत्यक्ष जिसकी जांच की जा रही है, में हिरा रखने वाले सम्स्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से सात दिन के भीतर उक्त प्रत्यक्ष के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निश्चित अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गईं तो उक्त आवेदन-पत्र विचारित रीति से निष्पत्ति किया जावेगा तथा जांच प्रसिक्त मामले में निष्पत्ति अभिलिखित किया जावेगा।
आज्ञापन-क्रमांक 31.05.23 को हरेन्द्र हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अन्तर्ग्त जारी किया गया।
आज्ञापन तारीख पेशी 8.8.23
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक-व्यवसाय अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 148/2023
(नाम वर्तन तथा निवास स्थान)
जुंकी श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री गोपाल प्रसाद शर्मा, निवासी जहाँ नं 14, जवाहरलाल नेहरू नगर, चारणवास, काली बाड़ी तहसील अजमेरमण्डल, जयपुर विभाग जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रत्यक्ष अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत की गंगा चैटेरेबल ट्रस्ट, ग्राम चारणवास, कालीबाड़ी की क्या अवरोध, तहसील जयवसरमण्डल, जिला जयपुर प्रत्यक्ष के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अन्वय धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रत्यक्ष जिसकी जांच की जा रही है, में हिरा रखने वाले सम्स्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से सात दिन के भीतर उक्त प्रत्यक्ष के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निश्चित अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गईं तो उक्त आवेदन-पत्र विचारित रीति से निष्पत्ति किया जावेगा तथा जांच प्रसिक्त मामले में निष्पत्ति अभिलिखित किया जावेगा।
आज्ञापन-क्रमांक 31.05.23 को हरेन्द्र हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अन्